न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

उनवान:- रामकुंवार बनाम रेखादेवी वगै०

प्र.सं. 17/32/2018
08/10/2018

[illegible] 3(10) [illegible] का अवलोकन किया। वीडियो अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बहककोड का [illegible] है चुका है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी बहककोड का स्थानान्तरण हो चुका है अतः प्रकरण पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण में सुनवाई स्थगित किया जाकर प्रकरण पेंडिंग रखा होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)